



लोक शिक्षण संचालनालय

ब्लॉक - "C" इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

ई-मेल schoolscholarship717@gmail.com दूरभाष नं 0771- 2511192 फैक्स 0771-24445215

क./9-4/छात्रवृत्ति/2024-25/320

नवा रायपुर, दिनांक: 27/12/2024

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय:- सत्र 2024-25 के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की केन्द्रीय व राज्य छात्रवृत्ति बाबत ।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र 9-4/छात्रवृत्ति/2024-25/307 दिनांक 11/12/24

---0---

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान सत्र से केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक कार्य यथा Geo Tagging, OTR, ekyc of INO/Hol हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से आवश्यक तैयारी हेतु निर्देशित किये जाने के साथ समय-समय पर सभी संबंधित WhatsApp समूह में भी सूचित किया गया है। शालाओं के स्तर पर Geo Tagging, OTR का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार से जानकारी अनुसार शालाओं के Hol/INO का ekyc का कार्य NSP के माध्यम से किये जाने का प्रावधान NSP पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक व प्रक्रिया की सूचना सभी को दिनांक 25/12/2024 को WhatsApp समूह में दे दी गयी है। राज्य में पूर्व में अल्प संख्यक व NMMSS छात्रवृत्ति योजना हेतु NSP पर ekyc कार्य पूर्ण किया गया है। तदनुसार शेष शालाओं का भी ekyc किया जा सकता है। कक्षा 9वीं से 12वीं की राज्य /केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीनीकरण व सत्यापन के संबंध में आवश्यक निर्देश इस प्रकार है-

1. विद्यालय का जियो टैगिंग व कक्षावार तथा जातिवार सारांश प्रतिवेदन (Format B) का कार्य पूर्ण होने उपरांत ही विद्यार्थी अपने लॉगिन से नवीनीकरण का कार्य कर सकेंगे।
2. विद्यार्थी कोड/मोबाइल नंबर व जन्म दिनांक (पोर्टल में पंजीकृत) का उपयोग कर विद्यार्थी लॉगिन कर सकेंगे । (विद्यार्थी कोड/मोबाइल नं/जन्म दिनांक विद्यालय लॉगिन में रिपोर्ट - "पंजीकृत विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति" से देखा जा सकता है।
3. CSS योजना के विद्यार्थियों के लिए OTR नंबर अनिवार्य हैं। CSS योजना के विद्यार्थियों का यदि OTR नंबर विद्यालय लॉगिन से भरा जा चुका है व सत्यापन में सफल पाया गया है, तो विद्यार्थी लॉगिन पर प्री फिल प्राप्त होगा अन्यथा विद्यार्थी लॉगिन से दर्ज करना होगा।
4. विद्यार्थी लॉगिन से OTR नंबर दर्ज करते समय ध्यान रखना है की विद्यार्थी की जानकारी में दर्ज नाम, जन्म दिनांक, लिंग व आधार नंबर का मिलान OTR से होना अनिवार्य है।
5. विद्यार्थी लॉगिन पर APAAR ID (APAAR, - Automated Permanent Academic Account Registry) के पंजीयन का वैकल्पिक प्रावधान दिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के राज्य/केन्द्रीय छात्रवृत्ति की पात्रतानुसार सभी विद्यार्थियों का पंजीयन व सत्यापन कार्य पूर्ण कर 15 जनवरी 2024 के पूर्व DPI के लॉगिन पर भेजें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़



लोक शिक्षण संचालनालय

ब्लॉक - "C" इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

ई-मेल schoolscholarship717@gmail.com दूरभाष नं 0771- 2511192 फ़ैक्स 0771-24445215

// 2 //

पृ.क. / 9-4 / छात्रवृत्ति / 2024-25 / 321

नवा रायपुर, दिनांक: 27/12/2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. श्री ललिता वर्मा, वैज्ञानिक-‘सी’, NIC, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़